RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई, गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 वर्ष 07 अंक 194 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

मुंबई : लग्जरी बस ने स्कूटर को टक्कर मार दी; मौत

Page - 2

मुंबई के माहिम में इमारत गिराने के दौरान हादसा... दो लोग घायल

मुंबईः महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के माहिम इलाके में बुधवार (तारीखः 29 अक्टूबर 2025) को एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक तीन मंजिला इमारत को गिराने का काम चल रहा था। इस दौरान इमारत ढह गई, जिसमें कम से कम दो लोग घायल हो गए।

घटना का विवरणः

यह घटना माहिम रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापट मार्ग पर दोपहर लगभग 1:48 बजे हुई। बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, जॉनसन एंड जॉनसन बिल्डिंग (जिसे कुछ रिपोर्ट में उन्नति सोसाइटी भी कहा गया है) को गिराने का काम एक निजी ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था। जब जेसीबी मशीन का उपयोग करके इमारत के विध्वंस (demolitiof) का काम चल रहा था, तभी अचानक संरचना का पहला और दूसरा तल ढह गया। इमारत का कुछ हिस्सा नीचे खड़ी एक जेसीबी मशीन और पास में पार्क किए गए एक चार पहिया वाहन पर भी गिर गया।

घायलों की स्थितिः

हादसे में घायल हुए दो लोगों की पहचान शाहरुख खान (24) और मोहम्मद अय्यूब (24) के रूप में हुई है। दोनों को तत्काल पास के रहेजा अस्पताल ले जाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के अनुसार, दोनों घायलों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है।

बचाव और जांचः

हादसे की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी के वार्ड अधिकारी और मुंबई पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। बीएमसी ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को घेर लिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

सीधे जंगल तक पहुंचेंगी स्वास्थ्य सेवाएं...

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य का नया मॉडल

महाराष्ट्र : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर गढ़चिरौली के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया अध्याय शुरू हुआ है. जन स्वास्थ्य और गैर सरकारी संगठन 'सर्च' (सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च) के सहयोग से गढ़चिरौली जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाकर आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य का एक नया मॉडल तैयार किया गया है. अब यहां के सुदूर क्षेत्रों में सीधे मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी जा रही हैं, जन स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य के समग्र विकास की नींव है.

महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कई नवीन योजनाएं लागू की हैं. इसी पृष्ठभूमि में, मुख्यमंत्री फडणवीस की पहल पर गढ़चिरौली में स्वास्थ्य सेवाएं

लोगों के घर-घर पहुंच रही हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सर्च इंस्टीट्यूट में दो दिवसीय प्रशिक्षण लेंगे.

यह महाराष्ट्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों और आशा कार्यकताओं को एक साथ प्रशिक्षित करने का पहला क्रांतिकारी तरीका बन गया है. यह गांवों में त्रि-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन का एक अग्रणी उदाहरण है. भविष्य में इस क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा. गढ़चिरौली में शुरू हुआ यह स्वास्थ्य आंदोलन वास्तव में एक स्वास्थ्य क्रांति का नया सवेरा है.

सरकार की 'मोबाइल मेडिकल यूनिट' अब उन सुदूर इलाकों तक पहुंच रही है, जहां पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती थीं. धनोरा तालुका को कभी देश का एक पिछड़ा, नक्सल प्रभावित और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित इलाका माना जाता था. धनोरा तालुका के 70 गांवों के आदिवासी नागरिकों को अब घर बैठे डॉक्टरों से जांच, दवाइयां और इलाज मिल रहा है. इस निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पहल ने ग्रामीणों के चेहरों पर राहत और आत्मविश्वास की मुस्कान ला दी है.

'आशा' कार्यकताओं को मिली प्रेरणा

'सर्च' संस्था की आशा कार्यकताओं को अब नए जोश के साथ काम करने की प्रेरणा मिल रही है. धनोरा तालुका की 181 आशा कार्यकताओं को सर्च विशेषज्ञों द्वारा साल में तीन बार व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है.

मुंबई : बायकुला 'वाय' ब्रिज अब एक मॉडर्न रिप्लेसमेंट के लिए तैयार...

मुंबई : एक सदी से ज्यादा समय तक खड़े रहने के बाद, मुंबई का मशहूर 103 साल पुराना बायकुला 'वाय' ब्रिज अब एक मॉडर्न रिप्लेसमेंट के लिए तैयार है, जो शहर के सबसे बिजी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में से एक को बदलने का वादा करता है। नया बायकुला रोड ओवरब्रिज, जो महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) द्वारा बनाया जा रहा एक केबल-स्टेड स्ट्रक्चर है, अब 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है और यह साउथ मुंबई, दादर और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच एक जरूरी ईस्ट-वेस्ट कनेक्टर के तौर पर काम करेगा।

ठाणे नगर निगम के पानी के बिलों का बकाया वसूलने की कार्रवाई शुरू

ठाणे : जल आपूर्ति विभाग ने ठाणे नगर निगम के पानी के बिलों का बकाया वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वर्ष अप्रैल-2025 से अब तक 43 करोड़ रुपये के पानी के बिल वसूले जा चुके हैं। यह कुल वसूली का लगभग 18 प्रतिशत है। बकाया वसूली के लिए सभी वार्ड समिति स्तरों पर अभियान चलाया गया है और समय पर पानी के बिल की राशि का भुगतान करके नगर निगम का सहयोग करने की अपील की गई है। नगर निगम के पानी के बिलों की कुल राशि लगभग 250 करोड़ रुपये है। इसमें सन 2025 के 92 करोड़ 28 लाख रुपये बकाया हैं। इस प्रकार, चालू वर्ष के लिए बिल राशि 157 करोड़, 80 लाख रुपये है। इसलिए पानी के बिल का बकाया भुगतान नहीं करने पर नल कनेक्शन काटकर पानी की आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठाणे मनपा ने वर्ष 2024-25 में पानी के बिलों में 148 करोड़ 95 लाख रुपये वसूलने में सफलता प्राप्त की थी। यह वसूली 2023-24 की तुलना में 15 करोड़ रुपये अधिक थी। मनपा आयुक्त सौरभ राव ने निर्देश दिया है कि जल आपूर्ति विभाग इस वित्तीय वर्ष में बकाया और चालू बिलों की 100 प्रतिशत वसूली करे। ठाणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी और नगर अभियंता प्रशांत सोनगरा के मार्गदर्शन में पानी बिल वसूली अभियान चलाया जा रहा है। जल आपूर्ति विभाग हर सोमवार को इस वसूली अभियान की समीक्षा करेगा। इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मंगलवार शाम मुख्यालय स्थित स्वर्गीय नरेंद्र बल्लाल सभागृह में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपनगरीय अभियंता विनोद पवार ने वसूली की स्थिति और कार्रवाई की प्रकृति के बारे में मार्गदर्शन दिया। बैठक में सभी कार्यपालक अभियंता, उप अभियंता, मीटर रीडर आदि उपस्थित थे।

नकली सरकारी नौकरी घोटाले में एक बड़ा डेवलपमेंट...

मुख्य आरोपियों में से एक रविंद्र मोरे गिरफ्तार

मुंबई : 2.88 करोड़ के नकली सरकारी नौकरी घोटाले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मुख्य आरोपियों में से एक रविंद्र मोरे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोरे को एडह ऑफिस में पूछताछ के दौरान हिरासत में लिया गया और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले, 10 अक्टूबर को एडह ने सोलापुर जिले के बार्शी के रहने वाले नकली क्अर ऑफिसर नीलेश राठौड़ (35) को गिरफ्तार किया था। उस पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनकर 36 नौकरी चाहने वालों को सरकारी नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके ठगने का आरोप है। राठौड़ ने खुद को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में डिप्टी सेक्रेटरी बताया था और कथित तौर पर उम्मीदवारों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट जैसे अच्छे पदों पर नौकरी दिलाने का वादा किया था। इस घोटाले में भोले-भाले उम्मीदवारों से बड़ी रकम वसूली गई थी। अब एडह इस मामले की पूरी जांच कर रही है ताकि इसमें शामिल दूसरे लोगों का पता लगाया जा सके और ठगी गई रकम बरामद की जा सके।

संपादकीय...

मानव जीवन से खिलवाड़ की आदत...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

किसी भी निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी आम तौर पर नियमों का उल्लंघन ही होती है। जब ऐसा लगातार होता रहता है तो व्यवस्था अव्यवस्था का रूप ले लेती है और जब ऐसा होता है तो इसके घातक नतीजे सामने आते हैं। बीते दिनों एक ऐसा ही नतीजा झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में चाईबासा के सदर अस्पताल में आया। यहां थैलीसीमिया पीड़ित पांच बच्चों को एचआइवी संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया। इस मामले का पता तब चला, जब एचआइवी से संक्रमित हो गए एक बच्चे के माता-पिता ने ब्लड बैंक की लापरवाही की शिकायत की। इस शिकायत के बाद थैलीसीमिया पीड़ित अन्य की जांच की गई तो चार और बच्चे ऐसे ही मिले। कायदे से पहला मामला सामने आते ही स्थानीय प्रशासन और शासन के कान खड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले इस मामले का संज्ञान झारखंड हाई कोर्ट ने लिया। इसके बाद राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कुछ करने के लिए मजबूर हुई। उसने एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर दी। फिलहाल यह समिति थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआइवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की जांच कर रही है।

बच्चों को एचआइवी संक्रमित रक्त चढ़ाने की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारियों को निलंबित करने और सभी ब्लड बैंकों का आडिट करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त पीड़ित बच्चों के स्वजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि इन बच्चों का उपचार सरकारी खर्च पर कराया जाएगा। इसके बाद भी उन अभिभावकों की पीड़ा का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है, जिनके बच्चे थैलीसीमिया के बाद एचआइवी से भी ग्रस्त हो गए। इतनी बड़ी त्रासदी और फिर भी मुआवजा महज दो लाख रुपये। फिलहाल इस पर कुछ कहना कठिन है कि पांच बच्चों को एचआइवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले की जांच-पड़ताल में क्या निकलकर सामने आएगा और दोषी लोगों को कोई कठोर दंड दिया जा सकेगा या नहीं?

Rokthok Lekhani News Update
WhatsApp group

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने अबू धाबी पोर्ट्स के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया

'ब्लू इकॉनमी' के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने अबू धाबी पोर्ट्स के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जो भारत में इस पोर्ट अथॉरिटी का किसी राज्य सरकार के साथ पहला करार है। यह समझौता राज्य को समुद्री क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने और 'ब्लू इकॉनमी' के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस करार के तहत करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹16,700 करोड़) के निवेश की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुए इस समझौते के दौरान महाराष्ट्र सरकार और अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के बीच कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने राज्य में जहाज निर्माण, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और समुद्री उद्योगों में संयुक्त निवेश की रूपरेखा तैयार की है। इसका उद्देश्य न केवल राज्य के बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाना है, बल्कि रोजगार और औद्योगिक अवसरों का भी सृजन करना है।

अबू धाबी पोर्ट्स के अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र के पास समुद्री व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति है, और इस साझेदारी के जरिए राज्य में बंदरगाहों और औद्योगिक गलियारों को विश्वस्तरीय सुविधाओं में तब्दील किया जाएगा। इस टङ्कव से महाराष्ट्र की ''ब्लू इकॉनमी 2030 विजन'' को नई गति मिलने की उम्मीद है, जिसके तहत समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और तटीय इलाकों का विकास प्राथमिक लक्ष्य है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह समझौता महाराष्ट्र को भारत के सबसे बड़े मैरिटाइम हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आने वाले वर्षों में समुद्री अर्थव्यवस्था के योगदान को जीडीपी का 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए कोकण, मुंबई और रायगढ़ जिलों में नई पोर्ट परियोजनाओं और शिपयार्ड्स की स्थापना की योजना है।

अबू धाबी पोर्ट्स की ओर से बताया गया कि निवेश का एक बड़ा हिस्सा ग्रीन पोर्ट्स, डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम और सस्टेनेबल शिपिंग टेक्नोलॉजी के विकास पर खर्च किया जाएगा। यह पहल अंतरराष्ट्रीय समुद्री मानकों के अनुरूप होगी, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस साझेदारी से स्थानीय युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नौकरियां सृजित होने की संभावना है।

मुंबई : बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने के मामले में एच पश्चिम वार्ड के सड़क इंजीनियरों को कारण बताओ

मुंबई : बीएमसी, बांद्रा पश्चिम में निजी पुनर्विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क स्थिति रिकॉर्ड में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने के मामले में एच पश्चिम वार्ड के सड़क इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने वाली है। जोन 3 के उप नगर आयुक्त विश्वास मोटे ने मंगलवार को इसके साथ ही प्रारंभिक जाँच का आदेश दिया। उन्होंने एचटी को बताया, ''मैंने उनसे सात दिनों के भीतर एक रिपोर्ट भी देने को कहा है।'' मोटे का यह आदेश 27 अक्टूबर को एच पश्चिम वार्ड के

अधिकारियों द्वारा किए गए एक साइट निरीक्षण दौरे के बाद आया है। अधिकारियों ने यह जाँच करने के लिए यह दौरा किया था कि क्या बोरान रोड पर तीन लेन और गौथन रोड पर तीन लेन की चौड़ाई में डेवलपर्स को लाभ पहुँचाने के लिए हेराफेरी की गई थी, जैसा कि आरटीआई कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने 9 अक्टूबर को एक शिकायत में आरोप लगाया था। शिकायत, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बांद्रा के राजनेताओं के समर्थन से यह हेराफेरी की गई थी, में कहा गया है कि एच पश्चिम वार्ड के सहायक अभियंता (रखरखाव) ने इन सड़कों के लिए झूठे सड़क-चौड़ाई प्रमाण पत्र जारी किए, जिनका उपयोग अतिरिक्त एफएसआई और अन्य पुनर्विकास लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया। दौंडकर ने एचटी को बताया, ''यह कृत्य सार्वजनिक अभिलेखों में हेराफेरी के समान है और इसके बीएमसी के लिए गंभीर वित्तीय और कानूनी परिणाम हो सकते हैं।'' विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) 2034 के तहत, सड़क की चौड़ाई सीधे तौर पर अनुमेय भवन की ऊँचाई, एफएसआई और पुनर्विकास की पात्रता को प्रभावित करती है। महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006, आपातकालीन पहुँच के लिए न्यूनतम चौड़ाई की आवश्यकताएँ भी निर्धारित करता है। दौंडकर ने कहा कि इन दोनों कानूनों का उल्लंघन मनगढ़ंत दस्तावेजों के माध्यम से किया गया है।

मुंबई : लग्जरी बस ने स्कूटर को टक्कर मार दी; मौत

मुंबई : जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (जेवीएलआर) पर एक लग्जरी बस ने परिवार के सबसे बड़े बेटे के स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में इस मार्ग पर यह तीसरी ऐसी दुर्घटना थी। साथ ही, मेट्रो के चल रहे काम के कारण सड़कें ऊबड़-खाबड़ और दुर्घटना-प्रवण हो गई हैं। पवई पुलिस के अनुसार, एक निजी कंपनी में डिलीवरी एजेंट, 25 वर्षीय राहुल विश्वकर्मा अपनी 22 वर्षीय बहन प्रिया को लेने

पवारवाड़ी घाट गए थे। प्रिया, उसका जुड़वां भाई रवि और उनके अधेड़ माता-पिता, सभी विक्रोली निवासी, छठ पूजा मनाने गए थे और जब उन्हें घर लौटने के लिए कोई ऑटो नहीं मिला, तो उन्होंने मदद के लिए राहुल को बुलाया। प्रिया के पीछे बैठे राहुल ने पवई प्लाजा सिग्नल पार किया ही था कि एक तेज रफ़्तार लग्जरी बस ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी और दोनों गाड़ी से गिर गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''प्रिया फुटपाथ पर गिर गई, जबकि राहुल सड़क पर गिर गया और बस का अगला टायर उसके नीचे आ गया।'' घटना के बाद बस चालक कुछ देर के लिए रुका, लेकिन घायलों की मदद किए बिना ही मौके से भाग गया। पुलिस ने बताया कि राहुल को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पवई पुलिस ने अज्ञात लग्जरी बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण बनना) और 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले जुलाई में, लालू कांबले नाम का एक ठेकेदार, अपने दोपहिया वाहन से मरोल अपने घर लौट रहा था, तभी जेवीएलआर पर पवई झील के सामने एक गड्ढे में फिसल गया और पीछे से आ रहे एक डंपर ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सितंबर में भी, लालबागचा राजा के दर्शन से लौट रहे 22 वर्षीय देवांश पटेल की बेस्ट बस ने कुचलकर हत्या कर दी थी। वह ऊबड़-खाबड़ सड़क के कारण फिसलकर गिर गया था।

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों पर व्यक्त की गहरी चिंता; पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में विफल

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट को पता चला है कि कम से कम 649 आपराधिक मामलों में सुनवाई शुरू नहीं हुई है क्योंकि पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में विफल रही है, कुछ मामलों में तो 2006 में ही आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए थे। जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की पीठ ने 9 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा महाराष्ट्र भर के उन विचाराधीन कैदियों के बारे में दायर हलफनामे का अवलोकन करने के बाद कहा, जिनके खिलाफ वर्षों पहले आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बावजूद आरोप तय नहीं किए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 9 सितंबर को बॉम्बे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को यह बताने का निर्देश दिया था कि जुलाई 2021 में आरोप पत्र दायर होने के बावजूद शुभम गणपति उर्फ गणेश राठौड़ का मुकदमा क्यों शुरू नहीं हुआ। पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को महाराष्ट्र भर के अन्य विचाराधीन कैदियों के बारे में भी जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया था, जिनके आरोप चार या उससे अधिक वर्ष पहले आरोप पत्र दायर किए जाने के बावजूद लंबित रहे। पिंपरी चिंचवाड़

में एक हत्या के मामले में आरोपी राठौड़ को अप्रैल 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उसने मई 2025 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। 9 सितंबर को राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था कि मुकदमे से पहले उसकी लंबी हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि राठौड़ चार साल से ज्यादा समय से हिरासत में है, फिर भी उसकी स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी उसकी कैद के पहले दिन थी। पीठ ने उच्च न्यायालय को देरी के कारणों का पता लगाने और राज्य भर में इसी तरह के सभी मामलों की जाँच करने का निर्देश दिया। 7 अक्टूबर को, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने अनुपालन में एक हलफनामा दायर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामे की विषयवस्तु को चिंताजनक पाया, क्योंकि आरोप तय करने में देरी के मुख्य कारण अभियुक्तों की गैर-हाज़िरी, विभिन्न याचिकाओं और आवेदनों का लंबित रहना, वकीलों की अनुपस्थिति और अभियुक्तों द्वारा आरोपों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना थे। शीर्ष अदालत ने 9 अक्टूबर को कहा, ''हलफनामे से पता चलता है कि कम से कम 649 मामले ऐसे हैं जिनमें आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद, वर्ष 2006, 2013, 2014 और उसके बाद से वर्ष 2020 तक, आरोप तय नहीं किए गए हैं।'' शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि उच्च न्यायालय ने इस वर्ष की शुरूआत में ही परिपत्र जारी कर विचाराधीन कैदियों की अनावश्यक स्थगन से बचने के लिए भौतिक या आभासी पेशी अनिवार्य कर दी थी और जानना चाहा था कि क्या उन निदेशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है।

मुंबई : राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों को विशेष अभियान चलाने को कहा

मुंबई : विपक्ष द्वारा मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोप लगाए जाने के कुछ दिनों बाद, जिसमें कई वार्डों में नाम बार-बार दर्ज हैं, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने स्थानीय निकायों को पत्र लिखकर ऐसे मतदाताओं की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने को कहा है कि वे केवल एक ही मतदान केंद्र पर मतदान करें। इसका मतलब है कि कई बार पंजीकृत मतदाताओं को एक मतदान केंद्र चुनना होगा और यह शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान नहीं करेंगे।

एसईसी ने अपने प्राथमिक आकलन में पाया है कि कई मतदाताओं, खासकर शहरी निकायों में, ने कई वार्डों में अपना पंजीकरण कराया है, और इस साल विशेष संक्षिप्त संशोधन के अभाव में, ये नाम अभी भी मौजूद हैं। विपक्षी दलों ने दो हफ्ते पहले एसईसी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ एक बैठक में मतदाता सूची की सफाई होने तक स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित करने की मांग की थी। एसईसी के एक अधिकारी ने कहा, ''ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपना पंजीकरण कराया है, लेकिन उन क्षेत्रों से अपना नाम नहीं हटाया है जहाँ वे अब नहीं रहते हैं।'' हमारा सॉफ्टवेयर उन्हें पहचान सकता है। बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ऐसे मतदाताओं से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि वे कहाँ मतदान करना चाहते हैं। उनकी पसंद के अनुसार, शेष वार्डों के अधिकारियों को फर्जी मतदान से बचने के लिए मतदाता की डुप्लिकेट प्रविष्टियों के बारे में सूचित

किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं को 'मतदाता सूची की चिह्नित प्रति' में सूचित किया जाएगा, जिसका उल्लेख प्रत्येक बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। अधिकारी ने कहा, ''जब ऐसे मतदाता मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे, तो उनसे एक शपथ-पत्र देने के लिए कहा जाएगा कि वे अन्य बूथों पर मतदान नहीं करेंगे।'' उन्होंने आगे कहा, ''यदि ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को यह शपथ-पत्र पहले ही दे दिया गया है, तो मतदान केंद्र पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय निकायों को भी नियमों का उल्लंघन करने पर मतदाताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।''

शहरी विकास विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि स्थानीय निकायों को तुरंत अभियान शुरू करना होगा ताकि वास्तविक मतदान से पहले यह पूरा हो जाए। उन्होंने कहा, ''मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई जैसे बड़े शहरों में डुप्लिकेट मतदाताओं की समस्या ज्यादा है।'' ''जनवरी में निगम चुनाव होने की उम्मीद है, इसलिए मशीनरी को मामले को सुधारने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।'' अधिकारी ने कहा कि एकाधिक प्रविष्टियों की समस्या इसलिए थी क्योंकि इस वर्ष राज्य में कोई विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण ने मतदाता सूची से डुप्लिकेट मतदाताओं को हटाना सुनिश्चित किया, क्योंकि बीएलओ ने दिए गए पते पर मतदाताओं की मौजूदगी का सत्यापन किया।

मुंबई : 10 से 30 नवंबर, 2025 तक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित

मुंबई : भारत की 2027 की जनगणना की तैयारियों के बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने घोषणा की है कि शहर के एम वेस्ट प्रशासनिक वार्ड, चेंबूर में अगले महीने, 10 से 30 नवंबर, 2025 तक एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह पूरे भारत में जनगणना कार्यों को और बेहतर बनाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा होगा। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। जनगणना संचालन निदेशालय के अनुसार, इस प्रक्रिया में घरों की सूची और घरों की गणना सहित जनगणना के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाएगा। निवासी 1 से 7 नवंबर, 2025 तक उपलब्ध स्व-गणना विकल्प के माध्यम से

अपना विवरण ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे। अधिकारियों ने नागरिकों से उन गणनाकताओं और पर्यवेक्षकों के साथ सहयोग करने की अपील की है जो आंकड़े एकत्र करने के लिए घरों का दौरा करेंगे।

महाराष्ट्र इस तैयारी दौर के लिए चुने गए राज्यों में से एक है, जिसके तीन क्षेत्र इस अभ्यास के लिए चुने गए हैं - मुंबई का एम/पश्चिम वार्ड, जलगाँव जिले का चोपड़ा तालुका और कोल्हापुर जिले का गगनबावड़ा तालुका। मुंबई के एम-पश्चिम वार्ड में 135 मकान सूचीकरण ब्लॉक इस परीक्षण के लिए चिन्हित किए गए हैं। 402 गणनाकताओं और पर्यवेक्षकों की एक टीम पूरे राज्य में सर्वेक्षण करेगी। मंगलवार को, बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने जनगणना संचालन निदेशालय की निदेशक डॉ. निरुपमा जे. डांगे से मुलाकात की और आगामी अभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा भी उपस्थित थे। भारत सरकार ने 2027 की जनगणना दो चरणों में कराने की अपनी योजना पहले ही अधिसूचित कर दी है। पहला चरण, जो घरों की सूची और आवास संबंधी आंकड़ों पर केंद्रित है, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलाया जाएगा, जबकि जनसंख्या गणना का चरण फरवरी 2027 में होगा।

मुंबई : नर्सरी टीचर पर तीन साल के एक बच्चे को थप्पड़ मारने और उसे अलग-थलग करने के आरोप में मामला दर्ज

मुंबई : बेलापुर के एक स्कूल की नर्सरी टीचर पर तीन साल के एक बच्चे को थप्पड़ मारने और उसे अलग-थलग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बच्चे की माँ ने पुलिस को बताया कि कक्षा के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने उसका खिलौना छीन लिया था, जिसके बाद टीचर ने उसे थप्पड़ मारा और 20 मिनट के लिए अलग-थलग कर दिया।

पुलिस के अनुसार, 8 अक्टूबर को दोपहर करीब 12.20 बजे बच्चे की माँ उसे लेने स्कूल गई थीं और उन्हें उप-प्रधानाचार्य से मिलने के लिए कहा गया, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनका बेटा अपनी कक्षा में शरारत कर रहा था और उसने एक सहपाठी के बाल खींचे थे। माँ ने स्टाफ को आश्वासन दिया कि वह उससे बात करेंगी, लेकिन घर पहुँचने पर उन्होंने उसके दाहिने गाल पर लाल

निशान और उँगलियों के निशान देखे। इसके बाद, वह करीब 1 बजे स्कूल लौटीं, स्टाफ से बात की और सीसीटीवी फुटेज देखने का अनुरोध किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने उसे फुटेज दिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन कथित तौर पर स्वीकार किया कि शिक्षक ने गलती की थी। चार दिन बाद, 12 अक्टूबर को, परिवार को आखिरकार फुटेज दिखाया गया। उन्होंने बताया कि वीडियो में, कथित तौर पर देखा जा सकता है कि लड़का एक लड़की के बाल खींच रहा था क्योंकि उसने उसका खिलौना छीन लिया था। इसके बाद शिक्षक ने उसे थप्पड़ मारा और सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:10 बजे तक 20 मिनट के लिए स्कूल से अलग कर दिया।

अधिकारी ने कहा, ''बार-बार संपर्क करने के बावजूद, जिसमें 15 अक्टूबर को फुटेज की एक प्रति मांगने वाला एक ईमेल भी शामिल था, परिवार ने दावा किया कि स्कूल ने कोई जवाब नहीं दिया।'' इसके बाद, लड़के की माँ ने सोमवार को पुलिस से संपर्क किया और उसकी शिकायत के आधार पर, शिक्षक के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 (बच्चों की देखभाल के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति द्वारा उनके प्रति क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया गया।

ठाणे : बुलेट ट्रेन स्टेशन, दातिवली के आसपास 1,300 एकड़ में एक केंद्रीय व्यावसायिक ज़िला विकसित करने के प्रयास...

मुंबई : मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल (एचएसआर) या बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तेजी आने के साथ, ठाणे स्थित बुलेट ट्रेन स्टेशन, दातिवली के आसपास 1,300 एकड़ में एक केंद्रीय व्यावसायिक ज़िला विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। ठाणे नगर निगम (टीएमसी) के आयुक्त सौरभ राव ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, ''केंद्र सरकार अलग-थलग विकास नहीं चाहती। इसलिए हम ठाणे बुलेट ट्रेन स्टेशन के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए एक स्थानीय क्षेत्र योजना पर काम कर रहे हैं।'' उन्होंने आगे कहा, ''हम जिस नए व्यावसायिक ज़िले की योजना बना रहे हैं, वह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) से भी ज्यादा उन्नत होगा।''मंगलवार को, टीएमसी ने ठाणे बुलेट ट्रेन स्टेशन के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 के तहत पहला

नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि 1,300 एकड़ क्षेत्र के लिए स्थानीय क्षेत्र योजना टीएमसी द्वारा जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के मार्गदर्शन में तैयार की जाएगी। नोटिस के अनुसार, इस योजना में टीएमसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल होंगे, जिनमें दातिवली, म्हातार्डी, बेतावड़े और अगासन गाँवों के कुछ हिस्से शामिल हैं, साथ ही कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी शामिल होंगे, जिनमें आयरे, कोपर, भोपर, नंदीवली तरफ पंचनंद, कटाई और उसारघर गाँवों के कुछ हिस्से शामिल हैं।

नोटिस में कहा गया है कि केडीएमसी के नगर आयुक्त और प्रशासक ने 7 नवंबर, 2024 को लिखे एक पत्र के माध्यम से टीएमसी को उक्त क्षेत्र की एकीकृत योजना के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी। नोटिस में कहा गया है कि इस वर्ष 7 जनवरी को, राज्य शहरी विकास विभाग ने स्थानीय क्षेत्र योजना तैयार करने के लिए टीएमसी को नियुक्त किया था। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बीकेसी से शुरू होगा और गुजरात में प्रवेश करने से पहले महाराष्ट्र के ठाणे, भिवंडी, पालघर और दहानु से होकर गुजरेगा। योजना से वाकिफ एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एचटी को बताया, ''महाराष्ट्र में चार बुलेट ट्रेन स्टेशनों के आसपास का ज्यादातर इलाका अविकसित है।

पनवेल के रिसॉर्ट के बाथरूम में हिडन कैमरा...

पुलिस ने मालिक को किया अरेस्ट...

मुंबई: फेस्टिव सीजन में जब लोग घूमने के लिए निकले हैं तब मुंबई के पनवेल में अलर्ट कर देने वाली घटना सामने आई है। पनवेल के एक रिसॉर्ट के बाथरूम में हिडन कैमरा मिलने पर पुलिस ने मालिक को अरेस्ट किया है। रिसॉर्ट के टॉयलेट में कैमरा होने का खुलासा तब हुआ जब मुंब्रा का एक परिवार इस रिसॉर्ट में पहुंचा। परिवार के सदस्यों ने टॉयलेट का इस्तेमाल किया। इस दौरान परिवार को टॉयलेट में लगे बल्ब का होल्डर कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद हिडन कैमरा होने का खुलासा हुआ।

पुलिस ने महिलाओं की रिकॉर्डिंग करने के आरोप में रिसॉर्ट मालिक गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुंब्रा का एक परिवार शनिवार को इस रिसॉर्ट में आया था। रिसॉर्ट में प्रवेश करने के बाद संबंधित परिवार की महिलाओं ने शौचालय का इस्तेमाल किया। परिवार के एक बच्चे को शौचालय में लगे बल्ब के होल्डर पर शक हुआ, तो उसने होल्डर की जांच की और पाया कि उस होल्डर में एक छिपा हुआ कैमरा लगा हुआ था। पुलिस के अनुसार यह रिसॉर्ट पनवेल के धनसार गांव में स्थित है। गौरतलब हो कि पनवेल मुंबई का काफी पॉश इलाका माना जाता है। मुंबईकर आमतौर पर छुट्टियों और वेकेशन पर यहां पर रुख करते हैं। पनवेल में नामी हस्तियों के फॉर्म हाउस भी हैं।

किराए पर लिया था रिसॉर्ट

पुलिस के अनुसार रिसॉर्ट संचालक ने रिसॉर्ट में आई महिलाओं की रिकॉर्डिंग करने के लिए शौचालय में एक गुप्त कैमरा लगाया था। इस संबंध में रिसॉर्ट संचालक मनोज चौधरी (35) के खिलाफ तलोजा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मनोज खारघर के रंजन पाड़ा गांव में रहता था।

काशिमीरा : चोरी का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार...

काशिमीरा : काशिमीरा, अपराध शाखा कक्ष- 1 ने चोरी की वारदात के बाद 24 घंटे में चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त कि हैं। नया नगर क्षेत्र के रहने वाले शिकायतकर्ता मोईन एजाज खान के घर में एक अज्ञात चोर ने खिड़की का ताला तोड़कर प्रवेश किया। चोर ने घर से लगभग 2,53,500/- मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन और नकदी की चोरी की थी। चोरी की शिकायत नया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कि गई थी। शिकायत के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपराध शाखा कक्ष-1 के

प्रभारी पुलिस निरीक्षक (अपराध) सुशील कुमार शिंदे एवं उनकी टीम ने तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचनाओं के आधार पर जांच करते हुए, आरोपी बहुरुल नूर इस्लाम 26 वर्ष, को भायंदर पश्चिम से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर नया नगर एवं नवघर पुलिस स्टेशनों में पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

नागपुर : बच्चू कडू के नेतृत्व में हजारों किसानों ने नागपुर-हैदराबाद एनएच-44 को घंटों तक किया अवरुद्ध

नागपुर : पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में हजारों किसानों ने नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) को घंटों तक अवरुद्ध कर दिया। यह विरोध प्रदर्शन किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किया गया, जिसमें बिजली दरों में कमी, फसल बीमा राशि का तत्काल भुगतान और कृषि उत्पादों के उचित समर्थन मूल्य जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, सुबह से ही राज्य के विभिन्न जिलों से किसान जत्थों में नागपुर पहुंचे और उमरेड रोड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। किसानों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ

नारेबाजी की। ट्रैफिक कई किलोमीटर तक जाम रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बच्चू कडू ने कहा कि, ''राज्य सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा। फसल बीमा की राशि भी महीनों से बकाया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा।'' उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया, तो आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में हाईवे जाम आंदोलन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने मौके पर भारी बल तैनात किया और स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। दोपहर बाद कलेक्टर कार्यालय में किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद कुछ देर में प्रदर्शन आंशिक रूप से शांत हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से जाने की अपील की। एनएच-44 पर कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे मालवाहक गाड़ियों और बसों की आवाजाही प्रभावित हुई।

मुंबई: गजानन मर्ने गैंग का सदस्य रूपेश मर्ने उर्फ 'नंबर कारी' गिरफ्तार

मुंबई: शहर की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को गजानन मर्ने गैंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य रूपेश मर्ने उर्फ 'नंबर कारी' को गिरफ्तार किया है। यह वही गैंगस्टर है जो 19 फरवरी 2025 को शिव जयंती के अवसर पर हुई एक हिंसक घटना में शामिल था। उस दौरान गैंग के सदस्यों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर हमला किया था, जिसकी शिकायत कोथरुड पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। डीसीपी जोन-3 संभाजी कदम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरफ्तारी पुलिस की कई महीनों की ट्रैकिंग और खुफिया निगरानी के बाद की गई है। उन्होंने कहा, ''गजानन मर्ने गैंग के सदस्य

लगातार शहर में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आज गैंग का एक अहम सदस्य हमारी गिरफ्त में है।''

पुलिस के अनुसार, रूपेश मर्ने उर्फ नंबर कारी गजानन मर्ने का करीबी सहयोगी है और कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ मारपीट, धमकी और वसूली जैसे कई मामले दर्ज हैं। शिव जयंती के दिन हुई घटना में मर्ने गैंग के सदस्यों ने क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करते हुए कथित रूप से हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। डीसीपी कदम ने बताया कि इस मामले में पहले से ही कई अन्य गैंग सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और अब रूपेश मर्ने की गिरफ्तारी से पूरी साजिश का खुलासा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ''गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है, और शहर में किसी भी प्रकार के गुंडा तत्त्वों को बख्शा नहीं जाएगा।'' सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने मर्ने को कोथरुड के बाहरी इलाके से गिरफ्तार किया।

संपर्क कार्याल : रोहिरा हाउस फ्लैट नो 8 दूसरा माला पाकीजा बेकरी के सामने कैडल रोड माहिम पश्चिम मुंबई ४०००१६
मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com
www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani